न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

अपील सं0 23/2021 रसद

रामस्वरूप मीणा पुत्र श्री रामजीलाल मीणा निवासी ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील सिकराय जिला दौसा

..अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

..रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित आदकश दिनांक 10.4.2017 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.7.2021

उपस्थित–1. श्री सांवल राम मीना, अधिवक्ता अपीलांट ।
2. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक: 07.10.2022

अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 10.04.2017 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील सिकराय जिला दौसा का उचित मूल्य दुकान का अधिकृत राशन डीलर है। अपीलांट बिना किसी शिकायत के इमानदारी से ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील सिकराय के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण कार्य करता रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 30.6.2016, 19.7.2016 एवं दिनांक 5.8.2016 को पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री के ऑन लाइन वितरण बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये है। तत्पश्चात विभाग द्वारा दिनांक 24.3.2017 को संशोधित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आघार कार्ड एवं अंगूठे का बायो मैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओ0टी0पी0 आता है, जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराईज्ड होने के कारण लेशमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है एवं उक्त पोस मशीन से ऑनलाईन वितरण के कारण उपभोक्ताओं को देय रसद सामग्री का मैसेज उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण रसद सामग्री का राशन कार्ड में इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड से ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत आदेश पारित किये गये है। प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:55:23 IST
Reason: SelfAttested

...निरंतर 2 पर

22.12.2016 को अपीलांट की दुकान की जांच की गई, जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा आदेश दिनांक 26.12.2016 द्वारा अपीलांट के प्राधिकार पत्र को निलंबित किया जाकर अपीलांट को दिनांक 28.12.2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट ने नोटिस का उचित एवं विस्तृत जवाब मय साक्ष्य दिनांक 10.4.2017 को प्रस्तुत कर दिया। इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी दौसा ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब को उचित रूप से विचार किये बिना ही जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक को ही आदेश दिनांक 10.4.2017 को अपीलांट के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना व प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक को ही प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किये जाने पर प्रार्थी ने जरिये रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका को अपने आदेश दिनांक 30.7.2021 के द्वारा प्रार्थी को अपील करने की स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया जाकर अपीलेट ऑथोरिटी को यह निर्देश प्रदान किये गये कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दो माह के अंदर-2 निस्तारित करें। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 10.4.2017 राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवं विधि विरूद्ध है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑन लाइन वितरण बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये है। तत्पश्चात विभाग द्वारा संशोधित आदेश पारित किये गये हैं जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायो मैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओ0टी0पी0 आता है, जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है, जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। किसी कारण से अगर पोस मशीन में किसी व्यक्ति की पहचान न हो तो परिवार का कोई और व्यक्ति जिसका नाम भामाशाह से जुडा हुआ हो, अपनी पहचान दर्ज करवाकर परिवार की राशन सामग्री ले सकता है। अगर 3 बार में किसी व्यक्ति की पहचान दर्ज न हो तो भामाशाह कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज से अपने आप एक ओ.टी.पी. आता है। इस ओ.टी.पी. को मशीन में दर्ज करके भी राशन सामग्री ली जा सकती है। अगर परिवार में किसी का मोबाइल नहीं है तो ई- मित्र केन्द्र पर जाकर इसे दर्ज करवा सकते है। इस प्रकिया का फायदा है कि राशन की दुकान पर राशन सामग्री आते ही मैसेज प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा राशन सामग्री लेने पर भी मेसेज प्राप्त हो जाता है कि आपने कितनी राशन सामग्री ली है और कितनी राशन सामग्री शेष है। राशन सामग्री मिलने के बाद उपभोक्ता को हिसाब की पर्ची मिल जाती है, जिसमें लेन देन व उपलब्ध शेष राशन सामग्री की पूरी जानकारी उपभोक्ता को रहती है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराईज्ड होने के कारण लेश मात्र भी कालाबाजारी की [illegible] है एवं उक्त पोस मशीन से ऑनलाईन वितरण के कारण उपभोक्ताओं को [illegible] सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के [illegible] राशन कार्ड में इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान [illegible] द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत आदेश पारित किये गये है। जिसके बावजूद भी जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपने विवेक का उचित उपयोग किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:55:23 IST
Reason: SelfAttested

....निरंतर 3 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

बिना ही अपीलांट के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचे ही निरस्त कर दिया जो कि विधिसम्मत नहीं है। जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपीलांट को सूचित किये बिना ही पूर्व में दर्ज प्रकरणों को इकजाई कर उक्त निर्णय में समावेश किया गया है। उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थी के विरूद्ध कालाबाजारी करना प्रमाणित हो। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.4.2017 में केवल मात्र जवाब से संतुष्ट नहीं होकर कालाबाजारी को प्रमाणित माना गया है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना किसी स्पष्ट साक्ष्य के आरोप को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। अपीलांट द्वारा पोस मशीन के द्वारा ही रसद सामग्री का वितरण किया गया है, जिसमें कालाबाजारी की कोई गुंजाइश नहीं है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा विवादित निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो प्रार्थी को जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई ना ही बयानात की प्रति उपलब्ध कराई गई। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक को ही निरस्त कर दिया जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर प्रार्थी को प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट का एकमात्र रोजगार उचित मूल्य की दुकान है जिस पर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व अपीलांट पर ही है। अपीलांट के उपर गबन व कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नहीं है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.4.2017 में अपीलांट के विरूद्ध प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 6, 7, 11, 17(ग) व 18 का उल्लंघन माना जाकर प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है, जबकि वर्तमान में वितरण व्यवस्था पोस मशीन से होने के कारण परिपत्र दिनांक 5.8.2016 व 24.3.2017 लागू है। उक्त परिपत्रों के आधार पर ही वितरण किया जाता है तथा पोश मशीन से वितरण व्यवस्था के पश्चात प्राधिकार पत्र की उक्त शर्तों का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.4.2017 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल कर रसद सामग्री वितरण के आदेश प्रदान करावे।

विभागीय पैरोकार सरकार की दलील है कि ग्राम पंचायत ठीकरिया 1/3 तहसील सिकराय के उचित मूल्य दुकानदार श्री रामस्वरूप मीना की जांच दिनांक 22.12.2016 को थानाधिकारी, मेहन्दीपुर बालाजी द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि श्री रामस्वरूप मीना द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के गेहूँ कालाबाजारी हेतु वाहन टाटा 407 नंबर आरजे 29 जी–0784 में भर कर ले जाये जा रहे है जिसे ग्राम पटटी सलेहसिंह में हैड कानि0 श्री बाबूलाल के नेतृत्व में वाहन चालक श्री कैलाश पुत्र गोकुल राम प्रजापत निवासी ठीकरिया को वाहन में गेहूँ से भरे 32 कटटों के साथ पकडकर पुलिस थाना मानपुर ले आये है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधकारी महवा व प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा जांच की जाकर जांच रिपोर्ट जिला रसद कार्यालय दौसा में दिनांक 26.12.2016 को प्रस्तुत की गई। उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर [illegible] दिनांक 26.12.2016 को 90 दिवस के लिए निलंबित किया गया। जांच रिपोर्ट में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के कारण अपीलांट के विरूद्ध पुलिस थाना मेहन्दीपुर बालाजी में प्राथमिकी संख्या 192/2016 दर्ज करवाई गई। उचित मूल्य दुकानदार [illegible] अनियमितताओं बाबत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:55:23 IST
Reason: SelfAttested

....निरंतर 4 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

1. थाना परिसर मानपुर में वाहन टाटा 407 नंबर आरजे 29 जी–0784 में एफसीआई मार्का के 32 कटटों जिनका वजन 16 क्विं0 पाया गया जो कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था।
2. राशन डीलर द्वारा मौके पर प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टरों का नियमित रूप से संधारण नही किया जाना।
3. मौके पर राशन डीलर द्वारा पोस मशीन से किये गये वितरण की रिपोर्ट निकालने में असमर्थ पाया गया।
4. भौतिक सत्यापन किये जाने पर 119.51क्विं0गेहूँ, 898 लीटर केरोसीन व 1.06क्विं0 चीनी कम पाई गई।

इस प्रकार कम पाई गई राशन सामग्री की कालाबाजारी व राशन सामग्री का दुरूपयोग किया गया है। अपीलांट द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 10.2.2017 को प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब में स्वयं स्वीकार किया है कि उसके द्वारा उपभोक्ताओं की दुकान पर भीड होने व कई बार नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण बिना पोस मशीन के ही राशन सामग्री वितरित कर दी जाती है। इस प्रकार डीलर द्वारा बिना पोस मशीन के राशन सामग्री का वितरण किया जाना स्वीकार किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा माह सितंबर 2016 से जिन पात्र उपभोक्ताओं के आधार दर्ज हैं, उनको राशन डीलर द्वारा केवल पोस मशीन से बायोमैट्रिक सत्यापन के पश्चात ही राशन सामग्री दिये जाने का प्रावधान है। पोस मशीन द्वारा अंगूठा मिलान नहीं होने पर ओ0टी0पी0 का प्रावधान है न कि बिना पोस मशीन के वितरण करना। डीलर द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का नियमित रूप से संधारण नहीं किये जाने बाबत कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन किये जाने पर 119.51क्विं0गेहूँ, 898 लीटर केरोसीन व 1.06क्विं0 चीनी कम पाई गई। राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री का दुरूपयोग कर कालाबाजारी की गई है। राशन डीलर के विरूद्ध गंभीर अनियमितताओं बाबत पूर्व से दो प्रकरण क्रमशः 89/22.3.2016 व 455/21.10.2016 विचाराधीन है। उचित मूल्य दुकानदार बार–2 अनियमितता करने का आदि है। इस प्रकार श्री रामस्वरूप मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत ठीकरिया 1/3 द्वारा राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 व इसके तहत् जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 6, 7, 11, 17(ग) व 18 का स्पष्ट उल्लंधन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट व विभागीय पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रवर्तन अधिकारी महवा व प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा अपीलांट की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट रामस्वरूप मीना, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत ठीकरिया 1/3 तहसील सिकराय जिला दौसा का प्राधिकार पत्र दिनांक 26.12.2016 के द्वारा 90 दिवस के लिए निलंबित किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:55:23 IST
Reason: SelfAttested

....निरंतर 5पर

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया है। अपीलांट द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है। अपीलांट द्वारा जवाब दिये जाने के उपरांत जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 10.4.2017 को प्राधिकार पत्र की जमाशुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि रू0 1000/–जब्त सरकार करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना मेहन्दीपुर बालाजी में अपीलांट के विरूद्ध कालाबाजारी एवं राशन सामग्री के दुरूपयोग पर प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। अपीलांट द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब में स्वयं स्वीकार किया है कि उसके द्वारा उपभोक्ताओं की दुकान पर भीड होने व कई बार नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण बिना पोस मशीन के ही राशन सामग्री वितरित कर दी जाती है। डीलर द्वारा बिना पोस मशीन के राशन सामग्री का वितरण किया जाना स्वयं जवाब में स्वीकार किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा माह सितंबर 2016 से जिन पात्र उपभोक्ताओं के आधार दर्ज हैं उनको राशन डीलर द्वारा केवल पोस मशीन से बायोमैट्रिक सत्यापन के पश्चात ही राशन सामग्री दिये जाने का प्रावधान है। पोस मशीन द्वारा अंगूठा मिलान नहीं होने पर ओ0टी0पी0 का प्रावधान है न कि बिना पोस मशीन के वितरण करना। डीलर द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का नियमित रूप से संधारण नहीं किये जाने बाबत कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। प्रवर्तन दल द्वारा उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन किये जाने पर 119.51क्विं0गेहूँ, 898 लीटर केरोसीन व 1.06क्विं0 चीनी कम पाई गई। राशन डीलर द्वारा कम पाई गई राशन सामग्री की कालाबाजारी किया जाना प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त अपीलांट के विरूद्ध गंभीर अनियमितताओं बाबत पूर्व से दो प्रकरण क्रमशः 89/22.3.2016 व 455/21.10.2016 जिला रसद कार्यालय में विचाराधीन थे, जिनका भी अपीलाधीन आदेश में अंकन है। अपीलांट द्वारा राशन सामग्री का बार–2 दुरूपयोग करने का आदी होना ज्ञात होता है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पूर्ण प्रकिया का पालन करते हुए अपीलांट को पूर्ण रूप से सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए कालाबाजारी प्रमाणित होने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.4.2017 यथावत रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:55:23 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 07 अक्टूबर 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा